



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272408
CG-DL-E-09052026-272408

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2272]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2272]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

का.आ. 2363(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि दक उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग रायबरेली रिंग रोड के द्वितीय चरण कि.मी. 0.000 से कि.मी. 21.930 तक के भू-खण्ड के निर्माण/चौड़ीकरण (दो/चार लेन पेव्ड शोल्डर का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आक्षेप/आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप/आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (संयुक्त संगठन) रायबरेली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग रायबरेली रिंग रोड के द्वितीय चरण कि.मी. 0.000 से कि.मी. 21.930 तक के भू-खण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: रायबरेली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रायबरेली					
गांव का नाम: डिडौली					
1	817	निजी	कृषि	0.1872 (हेक्टेयर)	0.1872
2	818	निजी	कृषि	0.027 (हेक्टेयर)	0.027
3	819	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
4	832	निजी	कृषि	0.0048 (हेक्टेयर)	0.0048
5	834	निजी	कृषि	0.4466 (हेक्टेयर)	0.4466
6	835	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
7	836	निजी	कृषि	0.0252 (हेक्टेयर)	0.0252
8	837	निजी	कृषि	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
गांव का नाम: सलारपुर					
9	248/2	निजी	कृषि	0.3246 (हेक्टेयर)	0.3246
गांव का नाम: दरीबा					
10	1313	निजी	कृषि	0.0828 (हेक्टेयर)	0.0828

11	772	निजी	कृषि	0.042 (हेक्टेयर)	0.042
Total					1.1602

[फा. सं. 12037/57/2012-UP/NH-II (PT-III)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

S.O. 2363(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of Raebareli Ring Road Phase-II in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 21.930 of Phase-II in the district of RAEBARELI in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer (Joint Organization), Raebareli in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 21.930 of Raebareli Ring Road Phase-II, in the district of RAEBARELI in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: RAEBARELI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Raebareli					
Village: Didauli					
1	817	Private	Agriculture	0.1872 (Hectare)	0.1872
2	818	Private	Agriculture	0.027 (Hectare)	0.027
3	819	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
4	832	Private	Agriculture	0.0048 (Hectare)	0.0048
5	834	Private	Agriculture	0.4466 (Hectare)	0.4466
6	835	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
7	836	Private	Agriculture	0.0252 (Hectare)	0.0252
8	837	Private	Agriculture	0.002 (Hectare)	0.002
Village: Salarpur					

9	248/2	Private	Agriculture	0.3246 (Hectare)	0.3246
Village: Dariba					
10	1313	Private	Agriculture	0.0828 (Hectare)	0.0828
11	772	Private	Agriculture	0.042 (Hectare)	0.042
Total					1.1602

[F. No. 12037/57/2012-UP/NH-II (PT-III)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director